सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञापनदाताओं के लिये स्व-घोषणा अनिवार्य की

स्रोत: पीआईबी

हाल ही में भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** ने आदेश दिया है कि सभी विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों को किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले एक **'स्व-घोषणा प्रमाणपत्र'** प्रस्तुत करना होगा।

- इसका उद्देश्य **पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और ज़िम्मेदार विज्ञापन प्रथाओं को सुनिश्चित करना है।**
- ये नियम 18 जून, 2024 से सभी नए विज्ञापनों पर लागू होंगे।
- यह **केबल टेलीविज़न नेटवर्क (Cable Television Networks- CTN) नियम, 1994 के नियम 7** और **भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण मानदंडों** में दिये गए दिशानिर्देशों सहित सभी प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।
    - **CTN के नियम 7** में प्रावधान है कि विज्ञापनों को भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिये तथा दर्शकों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस पहुँचाने से बचना चाहिये।
- विज्ञापनदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र **प्रसारण सेवा पोर्टल** (टी.वी./रेडियो विज्ञापनों के हेतु) और **भारतीय प्रेस परिषद पोर्टल** (प्रिंट व डिजिटल मीडिया विज्ञापनों हेतु) पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
- विज्ञापनदाताओं को संबंधित प्रसारक, मुद्रक, प्रकाशक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड हेतु स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करने का प्रमाण उपलब्ध कराना आवश्यक होता है।

और पढ़ें: भारत में भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन, केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों में परिवर्तन, पत्रकारिता सूत्रों का प्रकटीकरण

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-mandates-self-declaration-by-advertisers